22/10/20

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। यह प्रकरण दिनांक 23/9/2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ था। किन्तु इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद प्रकरण संख्या 149/12 प्राप्त नही हुआ। जिससे मूल वाद प्रकरण संख्या 149/12 अनपान कमलादेवी बनाम मंगललाल की पत्रावली भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3297 दिनांक 22-10-2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद प्रकरण संख्या 149/12 दिनांक 06-07-2017 को खारीज हो चुका है। पत्र संलग्न पत्रावली किया गया। चूंकि यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है जिसका मूल वाद प्रकरण 149/12 खारीज हो चुका है अतः मूल वाद प्रकरण खारीज हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रहती है। अतः प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण खा[illegible] है। प्रकरण फैसल शुमा[illegible] कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2021.02.15 11:16:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner